हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। यकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग, शिविर मुख्यालय स बाहर है। पत्रावली पूर्ववत दि0 14/7/25 [illegible]	
14/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज कार्य से मीटिंग, शिविर मुख्यालय स बाहर है। पत्रावली पूर्ववत दि0 18/9/25 को पेश हो।	
18/9/25	पत्रावली पेश हो वकील पक्षकारान उप0 हो मिसल वास्ते हुक्म में पत्राव दिनांक 18/11/25 को पेश हो	
18/11/25	बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावनर में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी का राजस्व अभिलेख में नाम अंकित है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम करवाड की ख0नं0 412 रकबा 0.59है0 भूमि पर दिनांक 01.07.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः दिनांक 01.07.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ख़ारिज़ किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	